

बिहार सरकार
उद्योग विभाग
हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय

पत्रांक..... पटना, दिनांक.....
ह0रे0/सू0 का अधि0 (वार्षिक प्रतिवेदन) -01/07

प्रेषक,

संयुक्त उद्योग निदेशक,
सह
प्रथम अपिलिय पदाधिकारी
हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी क्षेत्रीय निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
(हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय अधिनस्त)

विषय:- सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा -25 के तहत राज्य सूचना आयोग को
भेजे जाने वाले वार्षिक प्रतिवेदन उपलब्ध के संबंध में।

महाशय,

उपयुक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि सूचना के अधिकार अधिनियम
धारा -25 के तहत आपके कार्यालय/ केन्द्र से संबन्धित सूचनाएँ संलग्न विहित प्रपत्र में अंकित कर
दिनांक 05-02-2019 तक कोषांग को उपलब्ध करना सुनिश्चित करें ताकि वांछित सूचनाएँ राज्य
सूचना आयोग को ससमय उपलब्ध कराया जा सके।

अनुलग्नक-उपरोक्त

विश्वासभाजन

ह0/-

संयुक्त उद्योग निदेशक,
सह
प्रथम अपिलिय पदाधिकारी
हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय बिहार, पटना।

ज्ञापाक:- 311..... पटना, दिनांक..... 31/01/19

प्रतिलिपि:- आई टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

slam
31/01/19

संयुक्त उद्योग निदेशक,
सह
प्रथम अपिलिय पदाधिकारी
हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय बिहार, पटना।

Riz

प्रथम अपीलीय प्राधिकार से संबंधित प्रतिवेदन
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-25 के तहत राज्य सूचना आयोग द्वारा तैयार किये जाने वाले वार्षिक प्रतिवेदन
प्रपत्र-2

कार्यालय/केन्द्र का नाम-

क्र०सं०	लोक प्राधिकार का नाम	प्रथम अपीलीय पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रथम अपीलीय पदाधिकारी के पास प्राप्त आवेदनों की संख्या	निस्तारित आवेदनों की संख्या	लंबित आवेदनों की सं०	कुल प्राप्त शुल्क	कितने मामले में सूचना नहीं दी गयी उसकी संख्या (धारा 8 एवं 9 के तहत)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	प्रथम अपीलीय पदाधिकारी							
2	अन्य							
	कुल योग							

टिप्पणी-(क) अपना प्रतिवेदन कम्प्यूटरीकृत कराकर सी० डी०, फ्लौपी एवं लिखित रूप में आयोग को समर्पित किया जाय।

(ख) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा-25 के तहत नियम 3 (ख) में निहित प्रावधान के तहत जो मामले हों उनके संबंध में प्रतिवेदन।

(ग) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा-25 के तहत नियम 3 (च) एवं (छ) में विहित प्रावधानों के तहत विभाग द्वारा किये गये प्रयास के प्रसंग में प्रतिवेदन कम्प्यूटरीकृत कराकर सी० डी०, फ्लौपी एवं लिखित रूप में आयोग को समर्पित किया गया।

(घ) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा-25 के तहत नियम 3 (घ) में विहित प्रावधानों के तहत किस अधिकारी के विरुद्ध किए गए अनुशासनात्मक कार्रवाई के प्रसंग में यदि

प्रथम अपीलीय पदाधिकारी

लोक सूचना पदाधिकारी से संबंधित प्रतिवेदन

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-25 के तहत राज्य सूचना आयोग द्वारा तैयार किये जाने वाले वार्षिक प्रतिवेदन प्रपत्र-1

कार्यालय/केन्द्र का नाम-

क्र०सं०	लोक प्राधिकार का नाम	लोक सूचना पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	वित्तीय वर्ष 2018-19 में लोकसूचनापदाओं के पास प्राप्त आवेदनों की संख्या	निस्तारित आवेदनों की संख्या	लंबित आवेदनों की सं०	कुल प्राप्त शुल्क	कितने मामले में सूचना नहीं दी गयी उसकी संख्या (धारा 8 एवं 9 के तहत)	कितने मामलों में राज्य सूचना आयोग द्वारा लोकसूचनापदाओं पर आर्थिक दण्ड तथा अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की गयी उनकी संख्या	आयोग द्वारा निर्धारित आर्थिक दण्ड की कुल राशि	वसूली की गयी कुल राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	लोक सूचना पदाधिकारी										
2	अन्य										
	कुल योग										

टिप्पणी-(क) अपना प्रतिवेदन कम्प्यूटरीकृत कराकर सी० डी०, फ्लोपी एवं लिखित रूप में आयोग को समर्पित किया जाय।

(ख) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा-25 के तहत नियम 3 (ख) में निहित प्रावधान के तहत जो मामले हैं उनके संबंध में प्रतिवेदन।

(ग) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा-25 के तहत नियम 3 (घ) एवं (ङ) में विहित प्रावधानों के तहत विभाग द्वारा किये गये प्रयास के प्रसंग में प्रतिवेदन कम्प्यूटरीकृत कराकर सी० डी०, फ्लोपी एवं लिखित रूप में आयोग को समर्पित किया गया।

(घ) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा-25 के तहत नियम 3 (ख) में विहित प्रावधानों के तहत किस अधिकारी के विरुद्ध किए गए अनशासनात्मक कार्रवाई के प्रसंग में यदि कोई हो तो

लोक सूचना पदाधिकारी